संख्या:129/2019/371/35-4-2019

प्रेषक ,

आर0एन0एस0यादव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानुपर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 12 फरवरी,2019

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रों में रू.5.00 करोड़ के कार्यों हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कानुपर नगर की विधान सभा- गोविन्द नगर, कल्याणपुर एवं बिठूर से संबंधित कार्यो हेतु रू. 1499.31 लाख (जिसमें अधिष्ठान व्यय एवं 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि सम्मिलित है) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 1499.31 लाख (रूपये चौदह करोड़ निन्यानबे लाख इक्तीस हजार मात्र), की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यो के लिये कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	**कार्य का नाम**	**लम्बाई (किमी)**	**लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	गोविन्द नगर	बर्रा-6 गुन्जन विहार में एमआईजी-1 से 118/21 तक सड़क नाली व फुटपाथ का कार्य	0.184	28.94	28.94
2	गोविन्द नगर	तात्याटोपे नगर में टंकी वाले पार्क के सामने से होते हुए अम्बेडकर नगर चौराहे तक सड़क व नाली का सुधार कार्य	0.735	136.18	136.18
3	गोविन्द नगर	बी-ब्लाक पनकी प्रभु वाटिका अपार्टमेन्ट के सामने म0नं0-851 से 854 होते हुए नहर तक सड़क नाली व फुटपाथ का कार्य	0.236	57.13	57.13
4	गोविन्द नगर	बी-ब्लाक पनकी में एमआईजी चौराहे से करूणा सिंह के मकान तक सड़क व नाली का सुधार कार्य	0.273	64.64	64.64
5	गोविन्द नगर	बी-ब्लाक पनकी में एमआईजी में अंजनी पार्क से एन-113 तक सड़क व नाली का सुधार कार्य	0.265	57.93	57.93
6	गोविन्द नगर	बी-ब्लाक पनकी में म0नं0-226 से 1063 कालपी रोड होते हुए थाने तक सड़क व नाली का निर्माण कार्य	0.707	80.22	80.22
7	गोविन्द नगर	बी-ब्लाक पनकी में म0नं0-569 से म0नं0-46 तक सड़क नाली व फुटपाथ का कार्य	0.535	74.77	74.77
		योग वि0स0 क्षेत्र गोविन्दनगर	**2.935**	**499.81**	**499.81**
8	कल्याण पुर	नारामऊ इन्दिरा नगर के अंतर्गत एमआईजी म0सं0-59 से 67 तक फुटपाथ (इण्टरलाकिंग)	0.087	4.90	4.90
9	कल्याण पुर	नारामऊ इन्दिरा नगर के अंतर्गत एमआईजी म0सं0-70 से 72 तक फुटपाथ (इण्टरलाकिंग)	0.077	2.63	2.63
10	कल्याण पुर	नारामऊ इन्दिरा नगर के अंतर्गत एमआईजी म0सं0-93 से 104 तक फुटपाथ (इण्टरलाकिंग)	0.163	5.01	5.01

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
11	कल्याण पुर	नारामऊ इन्दिरा नगर के अंतर्गत एमआईजी म0सं0-74 से 78 तक फुटपाथ (इण्टरलाकिंग)	0.050	2.03	2.03
12	कल्याण पुर	आजाद नगर कल्याणपुर में बाजपेयी के घर से स्टेट बैंक तक व बंगला वाली गली में जीटी रोड तक (इण्टरलाकिंग)	0.237	23.10	23.10
13	कल्याण पुर	मा दुर्गा हास्पिटल नया शिवली रोड कल्याणपुर से अम्बेडकरपुरम आवास विकास तक रोड का कार्य (सी0सी0 रोड)	1.010	99.17	99.17
14	कल्याण पुर	कल्यानपुर स्थित लक्ष्मी हास्पिटल के बगल से मिर्जापुर तालाब तक नाली सहित (सी0सी0 रोड)	0.405	72.36	72.36
15	कल्याण पुर	मल्होत्रा सोसाइटी में पिंटू कटियार के मकान से सुधीर पाल के मकान से होकर रंजीत कश्यप के मकान तक (इण्टरलाकिंग)	0.136	13.07	13.07
16	कल्याण पुर	बारासिरोही में काली जी के मंदिर से अशर्फी लाला कठेरिया के मकान तक व काली मंदिर से ही स्व0 सत्यनारायण पासवान के मकान तक व स्व0 चौबे जी के मकान तक (इण्टरलाकिंग)	0.168	8.06	8.06
17	कल्याण पुर	कल्यानपुर दक्षिणी मिर्जापुर गॉव नई बस्ती में महाबलीपुरम चौराहा नेशनल पार्क से बाबा बिल्डिंग के आगे बंबी तक ल0 810 मी0 तक (सी0सी0 रोड)	0.75	76.75	76.75
18	कल्याण पुर	आवास विकास के अंतर्गत म0सं0 जीसी0 72 से म0सं0 जीसी 89 केशवपुरम कल्याणपुर (इण्टरलाकिंग)	0.11	20.32	20.32
19	कल्याण पुर	आवास विकास-3 के अंतर्गत ईडब्लूएस म0सं0 3396 से 3407 तक व म0सं0 ईडब्लूएस 3500 से 3504 तक दोनों ओर रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.10	8.72	8.72
20	कल्याण पुर	प्लाट सं0-90 से 7/38 तक रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.105	13.46	13.46
21	कल्याण पुर	अम्बेडकरपुरम आवास विकास-3 के अंतर्गत सेक्टर-9 में म0सं0-3/66 से म0सं0-9/49 मॉ जनरल स्टोर तक रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.116	11.47	11.47
22	कल्याण पुर	अम्बेडकरपुरम आवास विकास-9 के अंतर्गत सेक्टर-9 में म0सं0-3/83 श्री योगेन्द्र पाल सिंह के म0सं0-9/65 रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.108	10.18	10.18
23	कल्याण पुर	आवास विकास-3 के अंतर्गत म0सं0-4445 से ईडब्लूएस 4671 रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.159	12.76	12.76
24	कल्याण पुर	सेक्टर-6 अम्बेडकरपुरम म0सं0-6/20 से श्री अमित शुक्ला के मकान से होकर म0सं0-6/31 तक रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.223	20.19	20.19
25	कल्याण पुर	सेक्टर-6 अम्बेडकरपुरम योगेन्द्र विश्नोई के म0सं0-7/40 तक रोड नाली एवं फुटपाथ का कार्य (इण्टरलाकिंग)	0.158	20.29	20.29
26	कल्याण पुर	अम्बेडकरपुरम सेक्टर-5 में कारवर स्कूल से जितेन्द्र कुमार के घर होते हुए पप्पू तिवारी के घर तक (इण्टरलाकिंग)	0.297	38.02	38.02
27	कल्याण पुर	आवास विकास के अंतर्गत सेकटर-08 में म0सं0-8/415 हेमत सिंह से 8/198 सत्येन्द्र शुक्ला व म0सं0-08/387 रंजीत सिंह के मकान तक (इण्टरलाकिंग)	0.172	15.31	15.31

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
28	कल्याण पुर	सिद्धर्थ नगर गूबा गार्डेन कल्यानपुर में द्विवेदी हास्पिटल के सामने वाली सड़क भगवान दीन कुशवाहा के मकान के पास से वी0के0 श्रीवास्तव के मकान तक (इण्टरलाकिंग)	0.185	21.72	21.72
		योग वि0स0 क्षेत्र कल्याणपुर	**4.816**	**499.52**	**499.52**
29	बिठूर	कटरी शंकरपुर सराय में बेचे लाल के घर से राम किशोर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.215	14.66	14.66
30	बिठूर	कटरी लक्ष्मी खेड़ा राकेश के घर से राधे के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.265	18.82	18.82
31	बिठूर	पैगूपुर में रवि शुक्ला के घर से बरगद के पेड के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.165	10.39	10.39
32	बिठूर	भारू में राजाबाबू के घर से प्राथमिक स्कूल होते हुए बालाजी मंदिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.300	13.43	13.43
33	बिठूर	हरकर में सूर्यकांत पाल के घर से विष्णु गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.210	10.7	10.7
34	बिठूर	नत्था पुरवा में कालिका के घर से नेता के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.242	18.4	18.4
35	बिठूर	सुन्दरपुर कुढ़नी में जय शंकर तिवारी की चक्की से शिवधारा तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.150	6.99	6.99
36	बिठूर	आरनझामी में सुरेश साहू के घर से लिंक रोड तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.059	2.54	2.54
37	बिठूर	कुरिया में काली मन्दिर से डिम्पल कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.165	8.09	8.09
38	बिठूर	घुरवा खेड़ा वीरेंदर कुशवाहा के घर से अमित कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.170	8.32	8.32
39	बिठूर	ओरियारा राम आसरे पाल के घर से शंकर बडी का मंदिर के दरवाजे से राजेश के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.400	22.37	22.37
40	बिठूर	करछुलीपुर से अमलेश्वर मंदिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.150	7.34	7.34
41	बिठूर	चांदपुर में रोड से पाथामाई मंदिर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.180	8.95	8.95
42	बिठूर	पुरईहार में दीपू सिंह के बाग से प्राइमरी स्कूल तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.250	10.91	10.91
43	बिठूर	ढरहरा में रोड पवन चंदेल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य	0.310	17.03	17.03
44	बिठूर	भैरमपुर मुख्य मार्ग से गोविन्द के घर से होते हुए नेता चंदेल के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.220	12.30	12.30
45	बिठूर	कसिगवा में मुंशीलाल कुरील के घर से राम स्वरूप चौहान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.405	23.23	23.23
46	बिठूर	ह्रदयपुर कैंधा मार्ग से पटवा चक्की से राघवेन्द्र कुरील के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.210	13.03	13.03
47	बिठूर	राम सिंह का पुरवा में खलील खान के घर से महेन्द्र कुमार के घर तक यामीन के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.137	6.05	6.05
48	बिठूर	सोना में सूबेदार कमल के घर से सत्यम कश्यम के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.298	17.55	17.55

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
49	बिठूर	सेन पश्चिम पारा में जगमोहन कुशवाहा के घर से रणजीत सिंह की दुकान तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.175	8.94	8.94
50	बिठूर	शाहपुर में कैलाश गौर के दरवाजे से भगत सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.230	11.10	11.10
51	बिठूर	बौहार में शिवमंदिर से संदीप उत्तम के घर तक जय कमार के प्लाट से राम नरेश के घर तक और नरेन्द्र फौजी के घर की तरफ इण्टरलाकिंग कार्य	0.170	10.68	10.68
52	बिठूर	शूलपुर में शिव बहादुर के घर से शिव मंदिर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.210	10.56	10.56
53	बिठूर	निवादा भर्तुरवा में संजय शुक्ल के घर से वीरेन्द्र शुक्ल के बगीचे तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.100	4.96	4.96
54	बिठूर	गूजा में मथुरा पाल के घर से मनीष सचान के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.235	12.71	12.71
55	बिठूर	कुढ़नी में सुनील शाहू के घर से राम शंकर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.100	5.09	5.09
56	बिठूर	भदेवना में गंगा प्रसाद के दरवाजे से पराग डेयरी तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.240	11.57	11.57
57	बिठूर	बिरहर में विनोद त्रिपाठी के घर से अवदेश अवस्थी के घर होते हुए विजय किशोर की चक्की तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.300	18.75	18.75
58	बिठूर	उमरा रसूलपुर में रमेश के घर से अरविन्द का घर होते हुए पोस्ट आफिस शंकर के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.250	10.86	10.86
59	बिठूर	इटारा मेन रोड से भानु प्रिटिंग प्रेस से गोर लाल सिंह दूसरी ओर मेन रोड तथा रूस्तम कुशवाहा के घर से संतोष कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.180	9.82	9.82
60	बिठूर	कादरी चम्पतपुर मेन रोड जियो टावर के अनंत पाल यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.525	27.67	27.67
61	बिठूर	मगरासा में रज्जन के घर से विजय पाल शाहू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.060	3.11	3.11
62	बिठूर	जहानपुर चौराहे से शिव प्रसाद कुशवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.100	4.50	4.50
63	बिठूर	सपई में गोर लाल सेंगर के घर से दीपू शुक्ल के घर तक पुलिया एवं इण्टरलाकिंग का कार्य	0.250	13.83	13.83
64	बिठूर	बेनीपुरवा में मेन रोड से सोहनलाल पाल के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.230	9.77	9.77
65	बिठूर	हडहा में संतोष यादव के घर से श्यामू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.300	19.76	19.76
66	बिठूर	मझवान में बी0सी0 तिवारी के घर से सिद्ध गोपाल कुरील के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.100	4.55	4.55
67	बिठूर	भगवानदीप कुशवाहा के घर से गौरव चक के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.095	4.12	4.12
68	बिठूर	नगवा में छोटे लाल कुशवाहा के घर से राकेश कश्यप के घर तक नाली का निर्माण कार्य	0.115	5.74	5.74
69	बिठूर	जुगराजपुर में राम कृपाल सिंह के घर से रमेश सिंह राठौर के घर तक इण्टरलाकिंग का कार्य	0.180	10.47	10.47

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	वि0स0 क्षेत्र का नाम	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी)	लागत	अवमुक्त धनराशि
70	बिठूर	फतेहपुर में राज कपूर सिंह के घर से रमा शंकर शुक्ला के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.080	4.25	4.25
71	बिठूर	फतेहपुर चौराहे से लाखन सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.150	14.17	14.17
72	बिठूर	साढ़ में सावित्री देवी के घर से संतोष कुमार अवस्थी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.110	5.89	5.89
73	बिठूर	खेमपुर में राजू कुरील के घर से मेन रोड तक इण्टरलाकिंग कार्य	0.120	6.01	6.01
		योग वि0स0 क्षेत्र बिठूर	**9.106**	**499.98**	**499.98**
		योग जनपद कानपुर नगर	**16.857**	**1499.31**	**1499.31**

1- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।

2- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।

3- मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा से संबंधित उक्त कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्यालय स्तर तथा क्षेत्रीय/जनपदीय अधिकारियों द्वारा वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल पर सुसंगत सूचनाओं को अंकित करते हुये नियमित रूप से प्रगति विवरण भरा जायेगा।

4- कार्यों का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्यों के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार एवं मार्ग की लम्बाई में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि अनुमन्य नहीं है।

5- निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। विस्तृत आगणन यदि अनुमोदित मूल आगणन से उल्लेखनीय रूप से भिन्न (Significantly different) होते हैं, तो कार्य की वास्तविक लागत को शासन स्तर से अनुमोदित कराया जाना अपेक्षित होगा। इस प्रकार अनुमोदित विस्तृत आगणन की प्रति कार्य स्थल के विवरण इत्यादि सहित कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत कार्यो के लिये नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।

7- प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा यथा संशोधित/स्वीकृत आगणन (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार किये जायेंगे।

8- ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या–1107/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्यों हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

10- स्वीकृति निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्यों हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

11- परियोजनाओं के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

12- स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

13- स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च,2019 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2019 से पूर्व समर्पित किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा प्रमुख सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2019 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

14- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

15- जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।

16- कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा ।

17- यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।

18- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

19- समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

20- त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर,2018 तथा लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

21- कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ लोक निर्माण विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2018-1092/23-02-2018 दिनांक 04 नवम्बर,2018 के प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-10 के अनुसार मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

22- मा0 मुख्यमंत्री जी की प्रश्नगत घोषणा से संबंधित कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग नोडल विभाग है। अतः स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों की भौतिक/वित्तीय प्रगति का अनुश्रवण लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई वेबसाइट/आनलाइन वेब पोर्टल आदि के माध्यम से किया जायेगा।

23- कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्बंधित ग्रामीण/नगरीय निकाय को हस्तान्तरित की जायेगी। संबंधित निकाय द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

2- उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-29 से 73 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0305-लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। तथा क्रमांक-1 से 28 के कार्यों की मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:129/2019/371(1)/35-4-2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- प्रमुख सचिव, विधान सभा।
7- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी।
8- मण्डलायुक्त, कानुपर।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग/मुख्य अभिन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कानुपर नगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानुपर नगर।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कानुपर नगर।
14- अधिशासी अभियन्ता,लो0नि0वि0/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, कानुपर नगर।
15- अनुसचिव,मुख्यमंत्री घोषणा-प्रकोष्ठ।
16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0एन0एस0यादव)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।